

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10606 / 3365

दिनांक :- 29/07/2019

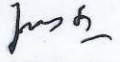
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री निशा यादव [लिंक न. 10606] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चित्तौड़गढ़ - [20361] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अद्वैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 17/06/2019 से 22/06/2019 तक 6 दिवस

कुल 6 दिवस

उक्त कुल 6 दिवस का असाधारण अवकाश (अद्वैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री निशा यादव की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10606 / 3365

दिनांक :- 29/07/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चित्तौड़गढ़
2. कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़
3. श्री /श्रीमती / सुश्री निशा यादव [10606] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चित्तौड़गढ़
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)